बिहार कर्मचारी चयन आयोग

पो0 -वेटनरी कॉलेज, पटना-14

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालयों में स्नातक सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापनः-

विज्ञापन संख्या-01010116

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि-23.02.2016 तथा ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि-17.03.2016

ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि-23.02.2016 तथा ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि-21.03.2016

बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालयों में स्नातक सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं ।

वेतनमानः-9300-34800/- ग्रेड-पे-4600/-

रिक्तियों की संख्या-211 (दो सौ ग्यारह)

विषयवार तथा आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ निम्नवत् है-

क्रम0सं0	विषय	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग की महिला	सामान्य	कुल
1.	हिन्दी	04	01	07	00	01	13	26
2.	अंग्रेजी	06	00	09	00	01	17	33
3.	गणित	06	00	09	00	01	17	33
4.	विज्ञान	05	00	05	00	00	09	19
5.	इतिहास	05	00	05	00	01	11	22
6.	भूगोल	03	00	04	00	00	08	15
7.	संस्कृत	04	00	05	00	00	08	17
8.	अर्थशास्त्र	05	00	07	00	01	13	26
9.	शारीरिक शिक्षा	04	00	05	00	01	10	20
कुल योग		**42**	**01**	**56**	**00**	**06**	**106**	**211**

उपर्युक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक हैं, जो घट-बढ़ सकती है ।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ विषय विशेष में स्नातक की डिग्री । राष्ट्रीय अध्यापक परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0एड0 की डिग्री ।
2. **शारीरिक शिक्षा के लिए-** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से शारीरिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री या समकक्ष अर्हत्ता का प्रमाण पत्र ।
3. **संस्कृत शिक्षक के लिए-** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आचार्य साहित्य या व्याकरण अथवा संस्कृत विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री ।

परीक्षा:-

लिखित परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे ।

(क) प्रश्न पत्र-1- विषय-हिन्दी:-

- (i) इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे ।
- (ii) हिन्दी विषय में अर्हतांक 30 प्रतिशत है जो अनिवार्य है किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी । जो उम्मीदवार इस विषय में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करेंगे उनके दूसरे पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा वे परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जायेंगे ।
- (iii) प्रश्न पत्र-1 की परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी होगा ।
- (iv) इस विषय में कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी । प्रत्येक प्रश्न के लिए 04 (चार) अंक होंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 01 (एक) अंक की कटौती की जायेगी ।
- (v) परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी ।

(ख) प्रश्न पत्र-2- विषय-सामान्य ज्ञान :-

- (i) इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे ।
- (ii) प्रश्न पत्र 2 सामान्य ज्ञान में विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी :-
  - (क) सामान्य अध्ययन-प्रश्नों की संख्या- 50 होगी ।
  - (ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित-प्रश्नों की संख्या- 50 होगी ।
  - (ग) मानसिक क्षमता जाँच (Comprehension/Logic/Reasoning/Mental Ability)- प्रश्नों की संख्या- 50 होगी ।

प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी । परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी । परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा । अगर हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे ।

सिलेबस:- प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से है: -

खंड (क) : सामान्य अध्ययन:- इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा । वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है । इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते है ।

- (i) सम-सामयिक विषय:- वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं ।
- (ii) भारत और उसके पडोसी देश:- पड़ोसी देशो का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आन्दोलन में बिहार का योगदान ।

खंड (ख)-: सामान्य विज्ञान एवं गणित:- इसमें सामान्यत: मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं :-

(i) सामान्य विज्ञान:-भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल ।

(ii) गणित:-संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि ।

खंड (ग)-: मानसिक क्षमता जाँच:- इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं । इस घटक में निम्न से संबंधित यथासभंव प्रश्न पूछे जा सकते हैं: - सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृखंला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या ।

उक्त विज्ञापन के विरूद्ध 40 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जायेगी । प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध (अधियाचित) रिक्तियों के लगभग 05 गुणा संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जायेगा । मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा । प्रारंभिक परीक्षा लेने की स्थिति में उपर्युक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र-2, विषय- सामान्य ज्ञान की परीक्षा ही आयोजित की जायेगी । मुख्य परीक्षा में उपर्युक्त परीक्षा के दोनों पत्रों की परीक्षा आयोजित की जायेगी ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्त्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) की संकल्प संख्या-2530, दिनांक-29.06.2010 के अनुसार उम्र सीमा की गणना दिनांक-01.08.2014 के आधार पर की जायेगी ।

न्यूनूनतम आयु- 21 (इक्कीस) वर्ष ।

अधिकतम आयु- (1) अनारक्षित (पुरूष)-37 वर्ष । (2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)-40 वर्ष । (3) अनारक्षित (महिला)-40 वर्ष । (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)-42 वर्ष ।

2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्त्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों को जो 03 (तीन) वर्षो की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षो की छूट अनुमान्य है । साथ ही, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्त्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प ज्ञापांक-62, दिनांक-05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षो का छूट अनमुान्य है ।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्त्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार सरकार के पत्रांक-2447, दिनांक-06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते की उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 (तिरेपन) वर्ष से अधिक नहीं हो ।

आरक्षण :-

(i) ऑनलाईन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखा जायेगा । सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70, दिनांक- 11.06.1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 (मूल) के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल वासी को ही देय है ।

(ii) पिछड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र जिसमें क्रीमीलेयर में नहीं होने का उल्लेख हो मान्य होगा । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा । ऑनलाईन आवेदन के समय यह प्रमाण-पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु काउंसेलिंग के समय पिछड़ा वर्ग/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र जिसके निर्गत की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे तथा उन्हे आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा । अभ्यर्थी आवेदन-पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे जिस आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत आते हों उसी आरक्षण श्रेणी का दावा करेंगे ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नही किया जायेगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा । गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा ।

(iv) प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे, वही मान्य होगा । यदि आरक्षण श्रेणी में परीक्षा प्रक्रिया की अवधि में कोई परिवर्तन होता है तो वह मान्य नही होगा ।

(v) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प संख्या-62, दिनांक-05.01.2007 के प्रावधान के आलोक में विकलागों को 3 प्रतिशत (1% दृष्टि नि:शक्तता, 1% मूकबधिर नि:शक्तता तथा 1% चलन नि:शक्तता) आरक्षण देय है । यदि किसी रिक्ति के किसी उपर्युक्त नि:शक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किन्हीं अन्य पर्याप्त कारण से भरा नहीं जायेगा तो ऐसी रिक्ति नियमानुसार अगले वर्ष में अग्रणित की जायेगी ।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं0-13185, दिनांक-03.09.2015 के अनुसार बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पाती/नाती/नतीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायगा अर्थात चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी ।

परीक्षा शुल्क :-

अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क के लिए 750/- (सात सौ पचास रूपये) का तथा मात्र वे उम्मीदवार जो बिहार के स्थायी निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के भी हैं, 200/- (दो सौ रूपये) परीक्षा शुल्क बैंक चालान भारतीय स्टेट बैंक के किसी शाखा में जमा करेंगे । बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 750/- (सात सौ पचास रूपये) निर्धारित है । चालान जमा करने के संबंध में विस्तृत अनुदेश एवं चालान की प्रति आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसे डाउनलोड कर अभ्यर्थी उपयोग में लायेंगे । निर्धारित शुल्क का चालान भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में दिनांक-23.02.2016 से 19.03.2016 तक बैंक के कार्यावधि में जमा किया जा सकता है । प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने की स्थिति में उपर्युक्त निर्धारित शुल्क मुख्य परीक्षा का माना जायेगा तथा मुख्य परीक्षा के समय प्रारंभिक परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क प्राप्त की जायेगी ।

न्यूनतम अर्हतांक:- लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक के लिए कामिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना (सामान्य प्रशासन विभाग) का संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनाक-16.07.2007 प्रभावी माना जाएगा, जो निम्नवत् है:-

सामान्य वर्ग-	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग-	36.5 प्रतिशत
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जन-जाति एवं महिला वर्ग-	32 प्रतिशत

अन्य:-

(i) वैसे ही उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिन्हें एतदर्थ आयोग द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किया जायेगा । प्रवेश-पत्र निर्गत होने मात्र से अर्हता की सम्पुष्टि नहीं मानी जायेगी । किसी उम्मीदवार के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता/ अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

(ii) वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/ किसी राज्य लोक सेवा आयोग/ अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो ।

(iii) किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा ।

महत्वपूर्ण: - अभ्यर्थियों को निदेशित किया जाता है कि वे आवेदन पत्र की प्रविष्टियों को भरने से पूर्व पूर्णत: आश्वस्त हो लें कि उनके द्वारा भरी गई प्रविष्टियाँ पूर्णत: सही है । बाद में किसी भी परिस्थिति में इसमें सुधार/परिर्वतन नहीं किया जा सकेगा ।

अंतिम तिथि :-

ऑनलाईन आवेदन दिनांक-23.02.2016 से 21.03.2016 की रात्रि 12 बजे (Server Time) तक आयोग के वेबसाईट ***http://bssc.bih.nic.in*** पर भरा जा सकता है ।

सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना ।